भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 58*

बुधवार, 20 दिसम्बर, 2017/ 29 अग्रहायण, 1939 (शक)

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी

***58. श्रीमती जया बच्चन:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधन के लिए अपनायी गयी कार्य-प्रणाली सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की कार्य प्रणाली किसी अध्ययन पर आधारित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किए जाने की क्या तर्क-संगतता है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के संबंध में दिनांक 20.12.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): मजदूरी संहिता संबंधी विधेयक, 2017 दिनांक 10.08.2017 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया है और तदनुसार इसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया है। मजदूरी संहिता संबंधी विधेयक, 2017 की धारा 9 में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना विद्यमान है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों अथवा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का उपबंध भी मौजूद है।

केन्द्र सरकार राष्ट्रीय न्यनूतम मजदूरी का निर्धारण करने से पूर्व केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का परामर्श ले सकती है। मजदूरी संहिता संबंधी विधेयक, 2017 की धारा 42 के अनुसार केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में स्वतंत्र व्यक्तियों के अतिरिक्त नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
